UPPG120000071992

<u>**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालगंज, प्रतापगढ़।**</u>

राज्य बनाम राजनारायन आदि।
फौजदारी वाद संख्या–662/2013
मु०अ०सं०–161/1991
धारा–323, 504, 506, 324, 326, 325 IPC,
<u>थाना– उदयपुर, जिला प्रतापगढ़।</u>

<u>**दिनांक– 02.08.2025**</u>

पत्रावली पेश हुई। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली आज धारा 299 दं० प्र० सं० के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन द्वारा गवाह प्रस्तुत किये जाने से इंकार किया गया।

पत्रावली दिनांक 23.07.2025 को अभियुक्तगण त्रिभुवन नाथ व उमाशंकर उर्फ कल्लू निवासीगण ग्राम गाडी मजरे दर्रा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरूद्ध स्थायी वारण्ट जारी करते हुए प्रकरण की कार्यवाही धारा–299 दं0 प्र0 सं0 के तहत अग्रसारित की गयी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन का साक्ष्य अंतर्गत धारा–299 दं० प्र० सं० का अवसर समाप्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियोजन का साक्ष्य अंतर्गत धारा–299 दं० प्र० सं० का अवसर समाप्त किया जाता है। पत्रावली निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है:

1–पत्रावली पर लाल स्याही से अंकित किया जाए कि पत्रावली विनिष्ट किये जाने योग्य नहीं है।

2–अभियुक्तगण त्रिभुवन नाथ व उमाशंकर उर्फ कल्लू के विरूद्ध शाश्वत गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाए।

3–संबंधित थानाध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक को तत्काल सूचना प्रेषित की जाए।

4–अभियुक्तगण की उपस्थिति की दशा में पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर प्रस्तुत की जाए।

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
लालगंज, प्रतापगढ़।
02.08.2025

Digitally signed by KUNWAR MALLIKARJUN
Date: 2025.08.02 22:39:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court